Areas of Operation of Tarai Development Corporation

7804. SHRI JITENDRA PRASAD : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) the total area to be developed by the Tarai Development Corporation and period during which this development will be completed ;

(b) the Tehsils in which the land to be developed is situated ; and

(c) whether the Corporation are extending the area of operation to the Districts of Shahjahanpur, Bareily and Pilibhit in Uttar Pradesh ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ANNASAHEB P. SHINDE) : (a) The Tarai Development Corporation is to develop 32,000 acres by land levelling and 41,000 acres by provision of irrigation water distribution system and 26,000 acres by provision of additional irrigation in a five-year period from 1969-70 to 1973-74, so as to make available for seed production 46,000 acres of land by the end of 1973-74.

(b) Kichha, Kashipur, Ramnagar, Seetarganj Tehsils of Nainital District, Bilaspur Tehsil of Rampur District and Baheri Tehsil of Bareilly District.

(c) No, Sir.

ट्रैक्टरों पर कर वृद्धि का प्रभाव

7805. **डा० लक्ष्मीनारायण पांडे :**
श्री नरेन्द्र सिंह :
श्री रणबहादुर सिंह :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष के बजट प्रस्तावों के लागू होने से पूर्व किसानों द्वारा आयातित तथा स्वदेशी ट्रैक्टरों पर क्रमशः कितना कर दिया गया;

(ख) 1971-72 में बजट में नये कर प्रस्तावों के परिणामस्वरूप स्वदेशी ट्रैक्टरों के मूल्य में कितनी वृद्धि हुई है;

(ग) क्या किसानों की आर्थिक स्थिति पर इसका प्रभाव पड़ा है; और

(घ) अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण (विश्व बैंक) के साथ 8000 ट्रैक्टरों के आयात के लिये किये गये समझौते पर इस कर वृद्धि का क्या प्रभाव पड़ा है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख). कृषि ट्रैक्टरों पर 29-5-71 से पूर्व उत्पादन और सीमा शुल्क नहीं लगते थे। तत्पश्चात् उत्पादन और सीमा शुल्क की स्थिति संक्षिप्त रूप से नीचे दी जाती है :—

(i) **उत्पादन कर :** 1971-72 के बजट प्रस्तावों के अनुसार, कृषि ट्रैक्टर (देशीय) पर से सीमा शुल्क की छूट बंद कर दी है इस के परिणामस्वरूप 29-5-71 से कृषि ट्रैक्टरों पर यथामूल्य 10 प्रतिशत कर लगाया जाता है। तथापि कृषि कार्यों में प्रयोग किये जाने वाले ट्रैक्टरों को विशेष उत्पादन शुल्क से छूट है।

(ii) **सीमा शुल्क :** विदेशों से आयात किये जाने वाले ट्रैक्टरों पर अब यथामूल्य पर 30 प्रतिशत का आधार सीमा-शुल्क लगाया गया है। इसके अतिरिक्त, विदेशों से आयातित ट्रैक्टरों पर, भारतीय टैरिफ अधिनियम 1934 की धारा 2 ए की व्यवस्था के कारण, अतिरिक्त कर (काउन्टरवेलिंग कर) जो देशीय ट्रैक्टरों पर लगने वाले उत्पादन कर के समान होता है, लगाया जाता है। उत्पादन कर का दर यथामूल्य 10 प्रतिशत है और काउन्टरवेलिंग कर का हिसाब लगाने का आधार तट पर आने तक की लागत पर सीमा-शुल्क होता है अतः आयातित ट्रैक्टरों पर सीमान्त शुल्क का कुल व्यय यथा मूल्य पर 43 प्रतिशत आता है।